भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4668

जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।

.....

शहरी जलभृत का पुनर्भरण

4668. श्री एस. ज्ञानतिरावियम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शहरी जलभृत (भूमिगत जलाशय) जो प्रदूषित नदियों द्वारा रिचार्ज होते हैं, वे सीवेज से भर जाते हैं और बाद मे इनसे घरेलू बोरवेल द्वारा पानी पंप किया जाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश की तेरह नदियों में कुल सतही जल का 80 प्रतिशत जल मौजूद है और लगभग 85 प्रतिशत लोग इनके बेसिन में रहते हैं तथा इन नदियों का जल विशेषकर निकट के कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों मे बैक्टीरिया का भोजन स्थल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन नदियों को साफ करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड पूरे देश में विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों एवं भूमि जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूमि जल गुणवत्ता डाटा तैयार करता है। ये अध्ययन देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग पॉकेटों में भारतीय मानक ब्यूरों की अनुमत्य सीमा से अधिक लवणता, फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, लोह एवं भारी धातुओं का पाया जाना दर्शाते हैं। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा सूचित किया गया भूमि जल संदूषण, मुख्यतः जियोजेनिक प्रकृति का है और गत वर्षों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करता है। हालांकि नाइट्रेड संदूषण मुख्यतः मानव जनित है और कुछ क्षेत्रों में इसका प्रसार पाया गया है विशेषकर आबादी वाले पास के क्षेत्रों में पाया गया है। नाइट्रेड संदूषण उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण भी हो सकता है। उच्च लवणता 18 राज्यों में 238 जिलों में रिपोर्ट किया गया है। अनुमेय सीमा से अधिक फ्लोराइड 23 राज्यों के 370 जिलों में, नाइट्रेड 23 राज्यों के 423 जिलों में, आर्सेनिक 21 राज्यों के 152 जिलों में, लौह 27 राज्यों के 341 जिलों में, लैड 14 राज्यों के 92 जिलों में, कैडमियम 9 राज्यों के 24 जिलों में और क्रोमियम 10 राज्यों के 29 जिलों में रिपोर्ट किया गया है। भूमि जल संदूषण का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक I में दिया गया है।**

(ख) से (घ) केंद्रीय जल आयोग द्वारा "स्पेस इनपुट, 2019 का प्रयोग करते हुए भारत में जल उपलब्धता का पुनर्आकलन" अध्ययन के अनुसार देश के सभी 20 बेसिनों के औसत वार्षिक जल संसाधन का आकलन 1999.20 बीसीएम किया गया है। वर्ष 2025 और 2050 के लिए बेसिन-वार जल उपलब्धता और अनुमानित जनसंख्या अनुलग्नक-II में दर्शायी गई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम के तहत मॉनीटरिंग स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से नदियों और अन्य जल निकायों की जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग कर रहा है। जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग परिणामों के आधार पर सीपीसीबी द्वारा समय समय पर नदियों का प्रदूषण आकलन किया जाता रहा है। सीपीसीबी द्वारा सितंबर, 2018 में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के अनुसार जैव- रासायनिक आक्सीजन मांग, जैविक प्रदूषण का एक सूचकांक के संदर्भ में मॉनीटरिंग परिणामों के आधार पर 323 नदियों के 351 प्रदूषित स्ट्रेचों को चिहिन्त किया गया है।

नदियों की सफाई/ संरक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय निकायों और औद्योगिक यूनिटों का दायित्व है कि वह निर्धारित मानदंडों के अनुरूप ही नदियों और दूसरे जल निकायों, तटीय जल या भूमि में होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीवेज और औद्योगिक बहिर्स्राव का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। नदियों के संरक्षण के लिए, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गंगा बेसिन की नदियों में नमामि गंगे की केंद्रीय क्षेत्र की योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश की नदियों के चिहिन्त प्रदूषित खंडों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए उनके प्रयासों को पूरा कर रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कस्बों और नदी खंडों पर प्रदूषण रोकथाम के कार्यों के प्रस्ताव एनआरसीपी के अंतर्गत विचार के लिए प्राप्त होते हैं और एनआरसीपी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनकी प्राथमिकता तथा निधियों इत्यादि के आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं। एनआरसीपी ने अब तक देश में 16 राज्यों में फैले 77 कस्बों में 34 नदियों पर प्रदूषित खंडों को 6050.18 करोड़ रु. की अनुमोदित परियोजना लागत से कवर किया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2677 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 5024 एमएलडी सीवेज उपचार की 160 परियोजनाओं सहित कुल 364 परियोजनाओं और 5227 कि.मी. के सीवर नेटवर्क को 30583 करोड़ रु. की लागत से स्वीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसे कार्यक्रमों में अंतर्गत सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार नदियों और जल निकायों में अपशिष्टों के निर्वहन के पहले विनिर्धारित पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करते हुए अपने अपशिष्टों का उपचार करना अपेक्षित होता है। तदनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियां अपशिष्ट निर्वहन मानकों के संबंध में उद्योगों को निगरानी करते हैं और इन अधिनियमों के उपबंधों के अतंर्गत अनुपालन न करने वाली के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में प्रदूषित नदी खंडों के संरक्षण के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदूषित खंडों के नवीकरण के लिए सीपीसीबी द्वारा चिहिन्त और 2018 की प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में निर्धारित समयावधि के भीतर अनुमोदित कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय स्तर पर भी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है।

******

अनुलग्नक-I

"शहरी जलभृत का पुनर्भरण" विषय के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4668 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

भारत के भूजल में विभिन्न दूषित पदार्थों वाले आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लवणता (3000 माइक्रो एमएचओएस/सेमी से ऊपर ईसी) (ईसी: विद्युत चालकता)	फ्लोराइड (1.5 मिलीग्राम/ली से ऊपर)	नाइट्रेट (45 मिलीग्राम/ली से ऊपर)	आर्सेनिक (0.01 मिलीग्राम/ली से ऊपर)	लोहा (1mg/ली से ऊपर)	सीसा (0.01 मिलीग्राम/ली से ऊपर)	कैडमियम (0.003 मिलीग्राम/लीटर से ऊपर)	क्रोमियम (0.05 मिलीग्राम/ली से ऊपर)
1	आंध्र प्रदेश	12	12	13	3	7			
2	तेलंगाना	8	10	10	1	8	2	1	1
3	असम		9		19	18			
4	अरुणाचल प्रदेश					4			
5	बिहार		13	10	22	19			
6	छत्तीसगढ़	1	19	12	1	17	1	1	1
7	दिल्ली	7	7	8	2		3	1	4
8	गोवा					2			
9	गुजरात	21	22	24	12	10			
10	हरियाणा	18	21	21	15	17	17	7	1
11	हिमाचल प्रदेश			6	1				
12	जम्मू और कश्मीर		2	6	3	9	3	1	
13	झारखंड		12	11	2	6	1		
14	कर्नाटक	29	30	29	2	22			
15	केरल	4	5	11		14	2		1
16	मध्य प्रदेश	18	43	51	8	41	16		
17	महाराष्ट्र	25	17	30		20	19		
18	मणिपुर		1		2	4			
19	मेघालय		1			6			
20	नागालैंड		1			1			
21	उड़ीसा	17	26	28	1	30			1
22	पंजाब	10	19	21	10	9	6	8	10
23	राजस्थान	30	33	33	1	33	3		
24	तमिलनाडु	27	25	29	9	2	3	1	5
25	त्रिपुरा					4			
26	उत्तर प्रदेश	13	34	59	28	15	10	2	3
27	उत्तराखंड			4		5			
28	पश्चिम बंगाल	6	8	5	9	16	6	2	2
29	अंडमान और निकोबार	1				2			
30	दमन और दीव	1		1	1				
31	पुदुचेरी			1					
	कुल	**18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 248 जिलों के हिस्से**	**23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 370 जिलों के हिस्से**	**23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 423 जिलों के हिस्से**	**21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 152 जिलों के हिस्से**	**27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 341 जिलों के हिस्से**	**14 राज्यों के 92 जिलों के कुछ हिस्सों में पंजाब**	**9 राज्यों के 24 जिलों के कुछ हिस्सों में सीडी**	**10 राज्यों के 29 जिलों के कुछ हिस्सों में करोड़**

अनुलग्नक -II

"शहरी जलभृत का पुनर्भरण" विषय के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4668 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

वर्ष 2025 और 2050 के लिए भारत में जल संसाधन उपलब्धता और अनुमानित जनसंख्या

क्र.सं.	नदी बेसिन	औसत वार्षिक जल संसाधन क्षमता (बीसीएम)*	अनुमानित जनसंख्या (दस लाख)**	
			2025	2050
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सिंधु (सीमा तक)	45.53	69.2	81.41
2.	गंगा- ब्रह्मपुत्र-मेघना			
	(ए) गंगा	509.52	593.04	697.69
	(बी) ब्रह्मपुत्र	527.28	48.06	56.54
	(सी) बराक और अन्य	86.67	10.24	12.05
3.	गोदावरी	117.74	89.18	104.92
4.	कृष्णा	89.04	100.41	118.13
5.	कावेरी	27.67	48.39	56.93
6.	सुवर्णरेखा	15.05	15.52	18.26
7.	ब्राह्मणी और बैतरणी	35.65	16.18	19.04
8.	महानदी	73	43.93	51.68
9.	पेन्नार	11.02	16.02	18.85
10.	माही	14.96	17.34	20.4
11.	साबरमती	12.96	17.34	20.4
12.	नर्मदा	58.21	24.28	28.56
13.	तापी	26.24	24.44	28.75
14.	तापी से तद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी	118.35	42.61	50.13
15.	तदरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	119.06	53.84	63.34
16.	महानदी और पेन्नारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	26.41	38.97	45.85
17.	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	26.74	74.32	87.43
18	लूणी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	26.93	36.5	42.94
19.	राजस्थान में द्वीप जल निकासी का क्षेत्र		11.73	13.79
20.	म्यांमार (बर्मा) और बांग्लादेश में छोटी नदी का बहना	31.17	2.48	2.91
	कुल	**1999.2**	**1394.02**	**1640**

* अंतरिक्ष इनपुट्स 2019, सीडब्ल्यूसी का उपयोग करके भारत में जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन,

** देश में विभिन्न उपयोगों के लिए पानी की उपलब्धता और आवश्यकता के आकलन के लिए स्थायी उप-समिति की रिपोर्ट, अगस्त, 2000

****